क्रम संख्या–33

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शनिवार, 26 फरवरी, 2005 ई0
फाल्गुन 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

संख्या 185/XII/2005/90 (43)/2004
देहरादून, 26 फरवरी, 2005

अधिसूचना

सा0प0नि0–04

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) की धारा 39 की उपधारा (2) और (4), धारा 40 और 41, धारा 43 की उपधारा (1), धारा 44, धारा 46 की उपधारा (2) और धारा 53 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 237, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) में, नियम 53 में नीचे स्तम्भ–1 दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :– — नियम 53 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
53–(क) सेवकों की सेवानिवृत्ति	53–(क) सेवकों की सेवानिवृत्ति
(1) जिला पंचायत का प्रत्येक सेवक उस मास के जिसमें वह 58 वर्ष की आयु का हो जाय, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगाः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सेवक का जन्म दिनांक मास का प्रंथम दिन हो तो वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा।	(1) जिला पंचायत का प्रत्येक सेवक उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु का हो जाय, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगाः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सेवक का जन्म दिनांक मास का प्रथम दिन हो तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा।
(2) प्रतिवर्ष पहली सितम्बर को या उसके पूर्व, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र (क) में जिला पंचायत के उन समस्त सेवकों की एक सूची तैयार की जायेगी जिनकी आयु अगले वित्तीय वर्ष में 58 वर्ष की हो जायेगी और उसे संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।	(2) प्रतिवर्ष पहली सितम्बर को या उसके पूर्व, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र (क) में जिला पंचायत के उन समस्त सेवकों की एक सूची तैयार की जायेगी जिनकी आयु अगले वित्तीय वर्ष में 60 वर्ष की हो जायेगी और उसे संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी सूची पर जहां तक उसका संबंध उन पदों से है जिसके संबंध में वह नियुक्ति प्राधिकारी है, विचार करेगा और सेवकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में निश्चित आदेश पारित करेगा। सम्बद्ध सेवकों को सेवानिवृत्ति होने की लिखित सूचना दी जायेगी।	(3) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी सूची पर जहां तक उसका संबंध उन पदों से है जिसके संबंध में वह नियुक्ति प्राधिकारी है, विचार करेगा और सेवकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में निश्चित आदेश पारित करेगा। सम्बद्ध सेवकों को सेवानिवृत्ति होने की लिखित सूचना दी जायेगी।

आज्ञा से,

पी0के0 महान्ति,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 185/XII/90(43)/2004, dated February 26, 2005.

No. 185/XII/90(43)/2004

Dated Dehradun, February 26, 2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, (as applicable in the Uttaranchal) (U.P. Act no. XXXIII of 1961) read with sub-sections (2) and (4), of section 39, section 40 and 41, sub-section (1) of section 43, section 44, sub-section (2) of section 46 and section 53 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Panchayats Service Rules, 1970 (as applicable in the Uttaranchal).